जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन), नियमावली, 1998

चिकित्सालयों से उत्पन्न कचरों का निपटान व्यवस्थित ढ़ंग से न करके लापरवाही पूर्वक यत्र-तत्र फेंककर अथवा जलाकर, उपचारित किये बिना नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसे कचरों के कुप्रबंधन से आस-पास का वातावरण अस्वास्थ्यकर हो सकता है तथा कई प्रकार के संक्रामक रोग भी फैल सकते हैं।

ऐसे जीव-चिकित्सा अपशिष्ट से होने वाले खतरों के मद्देनजर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** की धारा 6,8 एवं 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश में **''जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998''** दिनांक 20 जुलाई, 1998 को अधिसूचित किया गया है। यह नियम 27 जुलाई 1998 से उन सभी व्यक्तियों पर लागू है जो किसी भी रूप में जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण परिवहन, उपचार, व्ययन (Disposal) व हस्तन (Handling) करते हैं।

इन नियमों का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत दिये गये दंडात्मक व्यवस्था को आकृष्ट करेगा जो ऐसे अपराधों के लिए ज्यादा 5 वर्षों तक का कारावास, जुर्माना के बिना अथवा अधिकतम एक लाख रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों की सजा तक दंडनीय है।

उक्त नियमावली में परिभाषित जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का अर्थ वैसे अपशिष्ट से है, जो मनुष्य अथवा जानवर के रोग निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे संबंधित किसी अनुसंधान क्रिया-कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है एवं उक्त नियम की अनुसूची-1 में वर्णित प्रवर्ग-1 में आते हैं जिसकी विवरणी अंतिम पृष्ट पर देखी जा सकती है।

ऐसे ठोस व तरल कचरों में विभिन्न रोगों से ग्रस्त रोगियों पर व्यवहृत सिरिंज, कैथेटर्स, सेलाइन वाटर एवं रक्त की खाली बोतलें, रबर के दस्ताने, विषाक्त जख्म/घाव की ड्रेसिंग के खून व पीव सनी रूई, पट्टी, खून की उल्टियां, विभिन्न शल्य क्रियाओं व अन्त्य परीक्षण के अवशेष, उतारे गये प्लास्टर जैसी चीजें हो सकती हैं।

नियम के मुताबिक किसी संस्था, अस्पताल, नर्सिंग होम का वाहक/सहूलियत प्रदाता या कोई अधिभोगी (जिनका उस संस्था या उसके परिसरों पर नियंत्रण है) किसी भी रूप में जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, निपटान एवं हस्तन (Handling) कार्य तबतक जारी नहीं रख सकता है जब तक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 की धारा-8 के तहत **विहित प्राधिकार** अर्थात् **बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्** से पूर्व प्राधिकार (Authorisation) प्राप्त न कर लें। प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदक विहित प्रपत्र-1 में निर्धारित शुल्क के साथ राज्य पर्षद् को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तीन वर्षों का शुल्क एक मुश्त जमा करना होगा, जिसका विवरण निम्नांकित है:-

क्र० सं०	अस्पताल में बिस्तरों की संख्या	क्लिनिक, डिस्पैन्सरी, पैथोलॉजिकल लैब, ब्लड बैंक में प्रतिमाह उपचार किये गये मरीजों की संख्या	अन्य इकाईयाँ	तीन वर्षों का शुल्क (रुपया में)
1.	500 एवं अधिक	----	----	10,000/-
2.	200-499	10,000 एवं अधिक		7,500/-
3.	50-199	7500-9999	----	5,000/-
4.	25-49	5000-7499	----	2,500/-
5.	05-24	2500-4999	----	1,000/-
6.	00-04	1000-2499	पशुगृह एवं पशु-चिकित्सा संस्थान	5,00/-

चिकित्सा/स्वास्थ्य केन्द्र संचालकों के कर्त्तव्य

जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का जनन करने वाले संस्थान, जिसके अन्तर्गत कोई अस्पताल, परिचर्या-गृह, क्लिनिक, डिस्पेन्सरी, पशु-चिकित्सा संस्थान, पशुगृह, पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला, रक्त बैंक, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों, आते हैं। इनके प्रत्येक अधिभोगी (जिसका उक्त संस्था या उसके परिसरों पर नियंत्रण है) का यह कर्त्तव्य होगा कि वे ऐसे सभी कदम उठाएं जिससे इन अपशिष्टों का हस्तन (Handling) मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव ने डाले।

(ii) क्लिनिक, डिस्पेन्सरी, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं, रक्त बैंकों के ऐसे अधिभोगियों को छोड़कर जो प्रतिमाह 1000 (एक हजार) से कम मरीजों का उपचार कर रहे हैं/ सेवायें दे रहे हैं, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का उत्सर्जन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, एक जगह से अन्यत्र ले जाने, निपटान करने और/अथवा किसी अन्य ढंग से उसका संचालन करने वाले संस्थान के प्रत्येक अधिभोगी प्राधिकार की मंजूरी के लिए विहित सक्षम प्राधिकारी (बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्) के समक्ष प्रपत्र-1 में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करेंगे।

(iii) प्रत्येक अधिभोगी से अपेक्षा की गई है कि वे प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक प्रपत्र-2 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को वार्षिक रिपोर्ट भेजेंगे जिसमें पूववर्ती वर्ष के दौरान संस्था द्वारा हथाले गये (Handled) जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के प्रकार और मात्रा के बारे में जानकारी होगी।

(iv) प्राधिकृत व्यक्ति से अपेक्षा है कि वे जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के परिवहन के दौरान घटित दुर्घटना की रिपोर्ट प्रपत्र-3 में तत्काल राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को देंगे।

(v) प्रत्येक अधिभोगी, जहां अपेक्षित हो, नियम की अनुसूची-6 में वर्णित समय-सूची के अनुसार अपशिष्ट उपचार के लिए अपेक्षित जीव-चिकित्सा अपशिष्ट सुविधाओं जैसे इन्सिनिरेटर्स, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, प्रणाली की स्थापना करेंगे या अन्य अपशिष्ट उपचार सुविधा पर अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करेंगे।

(vi) प्रत्येक अधिभोगी अथवा जीव-चिकित्सा अपशिष्ट सुविधा का संचालक पृथक्करण, पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण हेतु नियम में विहित शर्तों का पालन करेंगें।

(vii) नियम के अन्तर्गत सार्वजनिक निपटान/भस्मीकरण स्थल उपलब्ध कराने का दायित्व नगर निकायों को दिया गया है, यदि अधिभोगी अथवा संचालक उनके अधिकार क्षेत्र में आते हों, परन्तु इससे बाहर आने वाले उपयुक्त स्थल की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

(viii) जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार और व्ययन (Treatment and disposal) भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) संख्या 460, दिनांक-20.07.1998 में वर्णित अनुसूची-1 (जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के प्रवर्ग की सूची) के अनुसार और अनुसूची-5 (जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार और व्ययन के लिए मानक भस्मकों के लिए मानक) में विहित मानकों के अनुपालन में किया जाना है।

नियम के अनुसार चिकित्सालयों के लिए हानिकारक एवं संक्रामक कचरों के प्रबंधन की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे कचरों को उनकी श्रेणी के मुताबिक वर्गीकृत कर अलग-अलग रंगों यथा-पीले, नीले तथा काले रंग से चिन्हित कूड़ेदानों में जमा करने का निर्देश दिया गया है ताकि ऐसे कचरों को उनके वर्ग के अनुरूप भस्मीकरण, ऑटोक्लेविंग, माईक्रोवेव उपचार, रासायनिक विसंक्रमण व गहरे गड्ढ़ों में दबाने के तरीकों से उपचारित करने के पश्चात इसका निपटान किया जा सके। नियम में जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निपटान के विकल्प तथा जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के व्ययन के